# साम्प्रदायिक कौन? धर्म या संगठन

दिल्ली की त्रिलोकपुरी में नई सरकार बनने के बाद हिन्दू मुसलमान के बीच दंगे हुए। कई दिनो तक कर्फ्यू रहा। इसके पूर्व भी हिन्दू मुसलमान के बीच कहीं न कहीं मार काट होती ही रहती है। इसके भी पूर्व सन् चौरासी मे हजारों सिखों का कत्लेआम भी हो चुका है, जो विश्व प्रसिद्ध है। दो हजार दो मे गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम भी विश्व प्रसिद्ध ही माना जाता है। भारत मे आज तक इसाइयों के विरूद्ध सिखो, मुसलमानो या हिन्दुओ के साथ कोई ऐसा बडा खून खराब नही हुआ जिसे विश्व प्रसिद्ध कहा जा सके। विचारणीय प्रश्न यह है कि ये खून खराबे होते क्यो है। किसकी गलती है तथा कैसे रूक सकते है।

ईसाइयो को इस चर्चा मे घसीटना व्यर्थ है। हिन्दू भी कभी किसी खून खराबे का नेतृत्व नही करता। ये दोनो ही खून खराबे का शिकार होते हैं अथवा यदा कदा बहुत परेशान होने पर हिन्दू संघ परिवार के साथ अल्प काल के लिये खडा हो जाता है। हिन्दू ऐसे कत्लेआम मे तभी शामिल होता है, जब किसी वर्ग विशेष की सकियता से वह परेशान हो जाता है। प्रश्न यह भी है कि जब इसाई और हिन्दू कभी कोई सांगठनिक किया करते ही नही तो ये दंगे या कत्लेआम होते क्यो है।

भारत मे धर्म के आधार पर तीन ही प्रमुख संगठन है। 1 मुसलमान 2 संघ परिवार 3 सिख। हिन्दू कभी संगठन बना ही नही। भविष्य मे भी हिन्दू की संगठन बनाने की कोई योजना नही हे। संघ परिवार लगातार कोशिश करता है कि आम हिन्दू उसके साथ आ जावे किन्तु आम हिन्दू बिना किसी किया के कभी संघ के साथ खडा नही होता। यदि हिन्दू कभी संघ के साथ खडा भी होता है तो अल्प काल के ही लिये है। किन्तु अधिकांश मुसलमान, सिख या संघ के लोग स्वयं को पहले धर्म के साथ जोडते है तब बाद मे समाज या राष्ट्र के साथ जबकि सभी हिन्दू स्वयं को पहले समाज का अंग ही मानते है और बाद मे धर्म या राष्ट्र के। इसाई भी आंशिक रूप से ऐसा ही मानते है। साम्प्रदायिक संगठनो का काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। भारत का आम मुसलमान चाहे भारत के किसी भी कोने मे रहे किन्तु भारत को दारूल इस्लाम बनाने का लगातार प्रयत्न करता रहता है। संघ परिवार खुलेआम हिन्दू राष्ट का नारा लगाता ही है। सिख संगठन मुसलमानो से कुछ भिन्न है। वे भारत मे जहां भी रहते है हिन्दुओ और मुसलमानो के साथ प्राय मिल जुल कर रहते है, और कभी भारत को सिख स्थान बनाने का स्वप्न नही देखते किन्तु वे भी आम तौर पर पंजाब मे अपनी शक्ति बढाने का दांव पेच करते ही रहते है।

पूरी दुनियां मे भी और भारत मे भी आम तौर पर हिन्दुओ को शान्ति प्रिय तथा असंगठित माना जाता है। आम तौर पर धारणा है कि हिन्दू गुलामी सह सकता है, किन्तु गुलाम बना नही सकता । दूसरे धार्मिक संगठन मे जा सकता है किन्तु दूसरे धार्मिक संगठन को अपने साथ नही रख सकता। हिन्दू स्वयं को गाय के समान कहे जाने मे गर्व महसूस करता है तो सिख मुसलमान या संघ के लोग शेर के समान तुलना मे गर्व महसूस करते है। हिन्दू यदा कदा अपनत्व की ओर झुकता है अन्यथा न्याय ही उसकी प्राथमिकता होती है । मुसलमान , सिख और संघ परिवार के लोग यदा कदा ही न्याय की ओर झुकते है अन्यथा अपनत्व ही उनकी प्राथमिकता होती है। हिन्दुओ की इसी सदाशयता का परिणाम है कि मुसलमान इसाई तथा संघ परिवार हिन्दुओ को अपने धार्मिक संगठन मे शामिल करने की कोशिश करते है। इस कोशिश से होने वाले आपसी टकराव का ही परिणाम है कि ये दंगे होते है। हिन्दुओ को अपने गुट के साथ जोडने मे सबसे ज्यादा सुविधा संघ परिवार को ही है। किन्तु जब मुसलमान या इसाई हिन्दुओ को अपने साथ जोडने का प्रयास करते है तब संघ के साथ इनकी छीना झपटी शुरू होती है जिसका परिणाम है साम्प्रदायिक दंगा।

दुनियां मे अच्छी व्यवस्थाओ के साथ कुछ बुराईया जुड जाती है। लोकतंत्र के साथ पूंजीवाद साम्यवाद के साथ तानाशाही दीपावली के साथ जुआ और होली के साथ कामुकता इसके उदाहरण है । इसी तरह धर्म के साथ संगठन का जुडना भी एक बुराई हैं। किसी भी पूजा पद्धति के कारण कोई टकराव नही होता। टकराव होता है पूजा पद्धति को आधार बनाकर संगठन बनाने और मजबूत करने की कोशिश के बीच। निर्विवाद सत्य है कि संगठन मे शक्ति होती है। पंजाब के सिखो ने संगठन शक्ति का बहुत भौडा प्रदर्शन किया। पूरे भारत के सिखो की इस प्रदर्शन के पक्ष मे आम स्वीकृति थी । पूरे भारत का आम जनमानस ऐसे प्रदर्शन के विरूद्ध था। रोज रोज के नाटक से आम जनमानस मे सिखो के विरूद्ध अदृष्य प्रतिकिया हो रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उस प्रतिकिया मे विस्फोट हुआ। हिन्दू, मुसलमान, इसाई, कांग्रेस, भाजपा, कम्यूनिष्ट और सपा, बसपा का भेद टूट गया और सबने कांग्रेस के नेतृत्व मे सिखो के विरूद्ध कत्लेआम का समर्थन किया। मै स्वयं भाजपा का जिला अध्यक्ष था। हमारे शहर मे कोई सिख नही था। किन्तु मै भी उक्त प्रयत्न मे उस दिन कांग्रेस के साथ खडा था । यदि कोई सिख मिला होता तो मै भी उस उद्वेग मे कांग्रेस वालो के साथ खडा दिखता । इतना परिणाम अवश्य हुआ कि इस घटना के बाद ही दिसम्बर चौरासी मे मैने राजनीति से सन्यास ले लिया। इस हत्याकांड के आठ वर्ष बाद ही संघ परिवार ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस किया। यह घटना सीधे सीधे मुसलमानो को उत्तेजित करने का काम था। मै स्वयं उस दिन संघ परिवार के विरूद्ध उद्वेलित था। मैने स्वयं आगे आकर संघ के विरूद्ध मुसलमानो का पक्ष लिया। बाबरी विध्वसं की घटना से मेरे मन पर गंभीर प्रतिकिया हुई। मेरे मन से संघ परिवार के प्रति सहानुभूति सदा सदा के लिये समाप्त हो गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बदले के रूप मे बम्बई मे बडी संख्या मे हिन्दू मारे गये। मेरे मन मे बम्बई के कत्लेआम की कोई प्रतिकिया नही हुई। क्योकि मेरे विचार मे बम्बई का हिन्दू कत्लेआम किया न होकर प्रतिकिया मात्र थीं।

दो हजार दो मे कुछ मुसलमानो ने गोधरा मे अकारण कार सेवको की हत्या की। प्रतिकिया स्वाभाविक थी। नरेन्द्र मोदी के मुख्य मंत्री काल मे गुजरात मे बडा कत्लेआम हुआ । यह प्रतिकिया थी । मेरे मन मे नरेन्द्र मोदी के पक्ष मे अच्छे विचार गये । मैने उसी समय खुलकर कहा और लिखा कि मोदी को भारत का प्रधान मंत्री होना चाहिये। मेरे ये विचार बाद मे सोहराबुद्दीन इशरत जहां हत्याकांड से और मजबूत हुए।

भारत मे स्वतंत्रता के तत्काल बाद से ही तथा कथित धर्म निरपेक्ष दल मुसलमानो की तुलना मे आम हिन्दुओ को दूसरे दर्जे के नागरिक सरीखा व्यवहार करते थे। मुस्लिम संगठन भी तथा कथित धर्मनिरपेक्षो के नेतृत्व मे खडे होकर हिन्दुओ के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे तथा आम मुसलमानों की ऐसी संगठनो के प्रति सहानुभूति थी। । आम हिन्दुओ के मन मे इस व्यवहार से सभी धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले दलो के विरूद्ध ज्वालामुखी धधक रहा था। आजम खान सरीखे नेता ज्वालामुखी पर तेल छिडक रहे थे। मै भी इन तथाकथित

धर्मनिरपेक्षो के विरूद्ध प्रतिकिया से भरा था। मैने खुलेआम टी वी पर तथा अपने लेखो मे लिखा कि नरेन्द्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिये। तथा कांग्रेस और कम्युनिष्टो को तो एक सीट भी मिलना बहुत धातक होगा।

मै एक कटटर हिन्दू हूँ। शत प्रतिशत धर्म निरपेक्ष हूँ । किसी संगठन का सदस्य नही हूँ। । गंभीर विचारक तथा स्पष्टवादी हूँ। मै महसूस करता हूँ कि मेरे सरीखे देश मे पचासो करोड हिन्दू है जो सब मामलो मे तो मेरे ही समान है केवल फर्क यह है कि मै खुलकर अपनी बात बोल देता हूँ, किन्तु वे बिचारे बोल नही पाते। किसी किया की प्रतिकिया उनके मन पर भी होती है, भले ही चुपचाप क्यों न हों। उनकी यह चुपचाप प्रतिकिया मौका पडते ही किसी पक्ष मे झुक जाती है और यही झुका हुआ भाग चौरासी की सिख कत्लेआम, गुजरात का मुस्लिम कत्लेआम या दो हजार चौदह की मोदी आंधी के रूप मे प्रकट हुआ। हिन्दुओ ने आज तक किसी धर्म के विरूद्ध कभी न किया की न प्रतिकिया। ऐसी पहल करने का उनका स्वभाव भी नही। किन्तु किसी अन्य धर्म नामधारी संगठन की साम्प्रदायिक किया के विरूद्ध कोई अन्य संगठन प्रतिकिया करता है तो शान्ति प्रिय हिन्दू भी ऐसी प्रतिकिया मे साझीदार हो जाता है।

भारत मे राजनेताओ तथा न्यायालयों ने निर्दोष सिख कत्लेआम के विरूद्ध पर्याप्त मरहम लगाने का प्रयास किया। किन्तु भारत का आम नागरिक समझता है कि यह मरहम वोट की लालच मे है। यही कारण है कि सिख दंगो के लिये जिम्मेदार लोगो को आज भी समाज मे अपराधी नही माना जाता । सिख संगठनो की चौरासी के बाद की गतिविधियां भी समाज को प्रेरित नही करती कि दंगो मे लिप्त लोगो के विरूद्ध घृणा उत्पन्न हो । सिख संगठन फिर से उसी दिशा मे बढने का प्रयास कर रहे है, जिधर चौरासी के पूर्व बढ रहे थे। बेअंत सिंह के हत्यारे के सम्मान के विरूद्ध अथवा भिंडरावाले के कार्य को गलत कहने वालो की संख्या सिखो मे उंगलियों पर गिनने लायक भी नही है । ऐसे लोगो को खुलेआम सम्मान देने वालो की संख्या बडी मात्रा मे दिखती है। आज भी सिखो मे ऐसा मानने वालो की संख्या नगण्य ही है, जो चौरासी के पूर्व के वातावरण की पुनरावृत्ति के विरूद्ध हों। यदि किया के विरूद्ध प्रतिकिया शाश्वत परिणाम है तो सिख संगठनो की दुबारा शुरू उछल कूद के विरूद्ध भी मौन प्रतिकिया संभव है, जो कभी अवसर पाकर ज्वाला मुखी बन सकती है। शान्ति प्रिय नागरिको के धैर्य की परीक्षा लेना सिख संगठनो के लिये क्यो आवश्यक है? आम शान्ति प्रिय सिख ऐसे संगठनो के विरूद्ध आवाज उठाने से क्यो डरते है? स्पष्ट रूप से पता है कि प्रतिकिया स्वरूप मारे जाने वालो मे कभी किसी संगठन का व्यक्ति नही होता। मरने वाले तो सिर्फ वे निर्दोष लोग ही होते है जो समय रहते ऐसी ऐसी संगठनात्मक उछलकूद के विरूद्ध अपने ही धार्मिक संगठनो के विरूद्ध आवाज नही उठाते। आवाज उठाना आपको तनखैया तक घोषित करा सकता है किन्तु आपको किसी अन्य आकस्मिक खतरे के विरूद्ध आपका कवच बन जायेगा। आपकी पहचान वास्तविक धर्म निरपेक्ष के रूप मे होने लगेगी ।

मुस्लिम संगठन भी अपवाद नही । उन्होने भी दो हजार दो के गुजरात कत्लेआम से सबक नही सीखा। उन्हे भरोसा था कि कांग्रेस सरीखे धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले उनके सहायक अजर अमर है। उनके अनुसार मुस्लिम संगठनो की चालाकी और हिन्दुओ की मूर्खता उन्हे कभी खतरे मे नही पडने देगी। यही घमंड आज उन्हे ले बैठा। वे वोट इकठठा करके आज तक तो संगठन का लाभ उठाते रहे। किन्तु अब नरेन्द्र मोदी की जीत उनके लिये घातक सिद्ध हो रही है। सिख संगठन तथा मुस्लिम संगठनो की दुर्दशा से संघ परिवार को सबक सीखना चाहिये। संघ परिवार ने त्रिलोकपुरी या बवाना जैसी घटनाओ को बढाकर मुसलमानो से बदला लेने की जो शुरूआत की है वह उनके लिये भी धातक ही सिद्ध होगी। अभी उन्हे संगठन के बल पर आगे बढने मे उसी तरह मजा आ रहा है, जैसे सिखो या मुसलमान संगठनो को आता रहा है। संघ परिवार को समझना चाहिये कि हिन्दू निर्णायक रूप से उसके साथ नही जुड गया है। मुसलमानो या सिखो के संगठनो को यदा कदा सबक सिखाने मे संघ की मदद करना संघ परिवार से जुडना नही हैं । संघ परिवार साम्प्रदायिकता की जल्दवाजी न करे तो स्थितियां जल्दी ही सुधर सकती है, अन्यथा हिन्दुओ का कोई भरोसा नही कि कब उसका बहुमत पूरी तरह धर्म निरपेक्ष हो जावे अथवा कब हिन्दू अपनत्व की भाषा छोडकर न्याय की दिशा मे बढ जावे। ऐसा होना संघ परिवार के लिये भारी पड सकता है।

अब तक तो स्पष्ट दिखता है कि नरेन्द्र मोदी संघ परिवार के दबाव मे काम नही कर रहे। मोदी जी ने संघ के लाख दबाव के बाद भी हिन्दू राष्ट की आवाज मे मुंह नही खोला। मोदी जी जिस गति से गांधी को स्थापित करते जा रहे है वह भी अंदर अंदर संघ परिवार को अच्छा नही लग रहा। नरेन्द्र मोदी ने मुसलमानो को राष्ट भक्त होने का जो प्रमाण पत्र दिया वह भी संघ को ठीक नही लगा। फिर भी मोदी की बढती लोक प्रियता से संघ किंकर्तब्यविमूढ है। उपर उपर तो उसे मोदी का समर्थन करना ही पड रहा है किन्तु अंदर खाने कुछ शंकाये भी बलवती हो रही है। अर्थात मोदी की धर्म निरपेक्ष किया के विरूद्ध संघ के मन मे प्रतिकिया हो रही है। मेरे विचार से वर्तमान मोदी का कार्यकाल राजनीति का सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल है। धर्म के नाम पर संगठन बनाकर दुकानदारी चलाने वालो का प्रभाव घट रहा है। दंगे मे मारे गये सिखो को मुआवजे का ऐलान करके मोदी जी ने अच्छी पहल की है। सिख संगठनो को पहल का स्वागत करना चाहिये। भारत के मुस्लिम संगठन भी परिवर्तन के प्रति गंभीर है। संघ परिवार भी सतर्कता से प्रतीक्षा कर रहा है। धर्म और संगठन का एकात्म कमजोर हो रहा है। धर्म मे आई संगठन की बीमारी ने सात दशक से धर्म को खोखला कर दिया है। अब आशा की किरणे जगी है। धर्म को संगठन पर अपनी निर्भरता कम करते जाना चाहिये। सभी धर्म प्रेमी व्यक्तियो को एक जुट होकर संगठनो को अलग थलग कर देना चाहिये। हिन्दू मुसलमान इसाई या सिख धर्मो का कही किसी भी रूप मे टकराव नही। टकराव तो धर्म मे आई संगठन की बीमारी पैदा करती है और यह बीमारी लाइलाज होते जाती है। धर्म और संगठन के बीच दूरी बढना आवश्यक है। मेरे सरीखे लोग तो इस दूरी को लगातार बढाने की दिशा मे प्रयत्नशील है किन्तु यह तभी संभव है जब ऐसे सिख मुसलमान और संघ के लोग भी इस दूरी बढाने के अभियान से जुडे। मुझे नरेन्द्र मोदी की धर्म और संगठन के विषय मे स्पष्ट दूरी समझने पर पूरा पूरा विश्वास है, और उम्मीद है कि यह विश्वास नही टूटेगा।

नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद संगठनो का प्रभाव घट रहा है। धर्म प्रधान लोगो को आगे आकर इस पहल को मजबूत करना चाहिये। धर्म के नाम पर संगठनों का जीवित रहना धर्म प्रेमियों के लिये एक कलंक है। हम इस कलंक को सदा सदा के लिये समाप्त करने मे मिल जुल कर खडे हों ।

## 1 श्री जावेद अनीस जनसत्ता से

**विचार**—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत शपथ की कुछ पंक्तियों के साथ की जो इस प्रकार है ''महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो न केवल स्वतंत्र बल्कि साफ सुथरा और विकसित हो। अब यह हमारा कर्तब्य है कि हम देश को साफ सुथरा रखकर भारत माता की सेवा करें। मैं स्वच्छता के प्रति समर्पित रहूँगा और इसकी खातिर समय दूंगा। न मै गन्दगी फैलाउंगा और न किसी को फैलाने दूंगा''। गांधी जी तो सफाई के प्रति एक आदर्श थे जो कि अपने आश्रम का शौचालय तक खुद साफ करते थे। उनका कथन था। अगर उन्हें भारत का लाट साहेब बना दिया जाय तो वे सबसे पहले बाल्मीकि समुदाय की गन्दी वस्तियों को साफ करना पसंद करेंगे। भारत में सफाई के कार्य को एक जाति विशेष का पेशा ही माना जाता रहा है। पिछले ही वर्ष संसद ने हाँथ से मल उठाने की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करते हुए इसमे लगे कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू किया है । ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा जारी रिपोर्ट में भी इसकी भयावहता एवं दैनिक स्थिति की विस्तृत चर्चा प्रकाशित की गई है।

आम तौर पर लोग बेझिझक कहीं भी अपने घर का कचरा उठाकर फेंक देते हैं। जबकि विकसित देशों में कचरे का रिसाइकिलिंग करके व्यावसायिक उपयोग मुनाफे के लिए भी किया जाता है। परन्तु हमारे देश में ठोस या गीला कचरा यदा कदा डम्प कर दिया जाता है, जिससे प्रदुषण की समस्या गंभीर हो गई है। हमारे यहाँ नई तकनीक का भी घोर अभाव है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों में कूडे के पहाड़ खडे होते जा रहे है, जिसका कि हम व्यावसायिक उपयोग कर सकते थे। जो कि विकसित देशों में निस्तारण करके इससे मुनाफे कमाए जा रहे हैं, बिजली बनाई जा रही है।

इस अभियान को प्राइवेट बनाने से ज्यादा पब्लिक बनाने की जरुरत है। देशी विदेशी बडे फार्मों को तरजीह देने के बजाय इस क्षेत्र में पहले से लगे लोगों को प्रशिक्षित करके इन्हें इसमे रोजगार परक कार्यों से जोडने की जरुरत है। हमें नजरिया भी बदलने की जरुरत है कि कचरा सफाई किसी जाति विशेष का ही पेशा है। इसे जाति से हटाकर पेशागत रूप के नजरिये से देखने की जरुरत है।

**उत्तर**—महात्मा गांधी के अभियान और नरेन्द्र मोदी के अभियान मे स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति प्रतिबद्धता की समानता है किन्तु दोनो की परिस्थितियां भिन्न हैं। गांधी के समय मैला ढोने की प्रथा एक जाति विशेष के लिये बंधन कारी व्यवस्था थी जो स्वतंत्रता के बाद स्वैच्छिक है। विश्व मानवाधिकार संस्था ने जो कहा वह आपके लिये एक उदाहरण हो सकता है किन्तु मेरे लिये नही। स्वतंत्रता के बाद के सरसठ वर्षो मे उपलब्धि के नाम पर सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन को अवश्य ही गिना जाता है क्योकि इसी नाम पर अनेको की दुकानदारी चलती रहती है। चोरी डकैती मिलावट बलात्कार की जगह मैला ढोने की प्रथा मिटाना कितना आवश्यक है, यह मै नही समझा। जिस दिन भारत आजाद हुआ और इस कार्य को स्वैच्छिक कर दिया गया उसके बाद भी स्वेच्छा और सहमति से यदि कोई यह कार्य करे तो इसमे क्या कठिनाई है। हमारे देश के नेताओ और विद्वानो को नाटक करने मे बहुत मजा आता है। कोई छुआछूत उन्मूलन के नाम पर विश्व पुरस्कार पाना चाहता है, तो कोई बंधुआ मजदूर बालश्रम उन्मूलन आदि पर। ये सब कार्य प्राथमिक स्तर के नही। सिर पर मैला ढोने की प्रथा हमारी कोई समस्या नही है। यह एक बुराई है जो श्रम मूल्य वृद्धि के बाद स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, और श्रम मूल्य वृद्धि नही होगी तो कभी खतम नही होगी चाहे आप कितना भी कानून क्यो न बना ले। इसी तरह छुआछूत भी श्रम मूल्य वृद्धि के बाद स्वतः समाप्त हो जोयगी।

## 2 सुरेन्द्र सिंह विष्ट विस्फोट डाट काम से

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के द्वारा अगस्त 2014 में दिये एक वक्तव्य ने समाचार जगत में काफी विवाद पैदा किया। उन्होंने कहा था कि जैसे अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अमेरीकी, इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश, फ्रांस में रहने वाला फ्रांसीसी है, वैसे ही हिन्दुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दू है। क्या उनका यह वक्तव्य सही है और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है ? यदि नहीं तो उसका तर्कसंगत प्रतिवाद होना चाहिए था? दुर्भाग्य से समाचार जगत में उस वक्तव्य पर विवाद तो बहुत हुआ पर सही प्रतिवाद नहीं हो पाया। संघ की दशहरा रैली में एक बार फिर उन्होंने यही बात दोहरायी कि हिन्दुत्व ही भारत की राष्ट्रीय पहचान है। क्या भागवत जी का उपरोक्त वक्तव्य संघ की स्थापना काल से चली आ रही विचारधारा के अनुकूल है? संघ संस्थापक डा. हेडगेवार जी का भी इस संदर्भ में एक वक्तव्य है पर उसका आशय ठीक विपरीत है। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड अंग्रेजो का, फ्रांस फ्रांसीसियों का, जर्मनी जर्मनों का देश है। इस बात को उपर्युक्त देशों के निवासी सहर्ष घोषित करते हैं. किन्तु इस अभागे हिन्दुस्थान के स्वामी हिन्दू, स्वयं अपने को इस देश का अधिकारी कहने का साहस नहीं करते. यह विपरीत भाव हममें क्यो पैदा हो गये ? (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ– तत्त्व और व्यवहार, पृष्ठ 15) हेडगेवार जी की बात को ठीक से समझने के लिए उसी पुस्तक के एक और वाक्य को देखना होगा, इस देश की पैंतीस करोड जनसंख्या में से केवल पच्चीस करोड हिन्दू हैं और शेष दस करोड लोग कम से कम आज हिन्दू नहीं हैं। ये दस करोड भी पहले कभी हिन्दू ही थे, परन्तु हम अपनी उदासीनता तथा निष्क्रियता के कारण उन्हे गंवा बैठे हैं। (उनकी यह बात 1935 के आसपास की है) भागवत जी का वक्तव्य और हेडगेवार जी के ये दोनों वक्तव्य साथ में देखने पर विसंगति साफ दिखाई देती है। डा. हेडगेवार जी के वाक्यों में भारत में रहने वाले हिन्दू और गैर हिन्दुओं मे भेद साफ है, पर भागवत जी सभी को हिन्दू कहने पर तुले हैं तो क्या संघ घोषित करेगा कि हेडगेवार जी के विचारों को त्याग कर उसने नए विचार बना लिए हैं?

संघ का घोषित ध्येय, हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज का सरंक्षण करते हुए इस प्रकार बताया जाता है। अब अगर संघ यह मानता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दू है अर्थात हिन्दू यह राष्ट्र वाचक संज्ञा है तो फिर उसके ध्येय में जो हिन्दू धर्म की सरंक्षण की बात की गयी है, उसका मतलब क्या है? क्या भागवत जी के वक्तव्य और संघ के इस ध्येय में कोई विसंगति नहीं है? अगर हिन्दू यह राष्ट्र वाचक संज्ञा है तो आज जिसे हिन्दू धर्म कहा जाता है, भागवत जी के अनुसार उसकी क्या संज्ञा है? या इस भ्रम को बनाये रखना ही वे संघ के लिए पोषक मानते हैं? संघ परिवार के वर्तमान विचारों की विसंगति तब और भी साफ हो जाती है जब संघ का एक नेता कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दू है और दूसरा नेता कहता है कि भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या का

घटते जाना चिंता का विषय है। क्या भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दू होना और भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या घटते जाना, दोनों बातें एक साथ संभव हैं? हेडगेवार जी साफ दिमाग के व्यक्ति थे और स्पष्टवादी थे। इसलिए वे इतना महान संगठन खडा कर पाए। धर्म क्या है? हिन्दू कौन है? आदि बातों को वे धर्माचार्यों पर छोडते थे पर बाद में संघ ने सभी कामों को अपना मान लिया और वहीं से गडबड भी शुरू हो गयी। क्या आज जो भ्रामक विचार संघ में व्याप्त हो गए हैं वे भटकाव नहीं पैदा करेंगे?

संघ परिवार मे और भी भ्रामक विचार व्याप्त हैं? कुछ बानगी देखिये–

१. संघ ने अपने प्रभात काल की वंदना में गाँधी जी का नाम भी महापुरुषों में शामिल किया है। पर क्या संघ ने पूरी तरह से अन्य महापुरुषों की तरह गांधीजी को अपना लिया है? यदि हां, तो फिर संघ परिवार से जुडे अनेकों पुस्तकालयों में गोडसे की पुस्तक गाँधी हत्या क्यों को आज भी क्यों बेचा जाता है? क्या इन दोनों बातो में कोई विसंगति नहीं है?

2 संघ अब भी 1947 मे हुए भारत विभाजन का विरोध करता है। उसे कृत्रिम मानता है और फिर से अखंड भारत बनाने की बात करता है। अर्थात वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर फिर एक राष्ट्र बनाने की बात होती है, पर साथ ही बांग्लादेश से आने वालों को घुसपैठिया भी कहता है और उन्हें देश के लिए खतरा बता कर उन्हे भगाने की बात करता है। अगर आप भारत विभाजन को गलत मानते हो, अखंड भारत की बात करते हो और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हिन्दू मानते हो तो फिर बांग्लादेश से आ रहे लोग तो आपका ही काम अघोषित तौर पर कर रहें हैं या नहीं? पर इस विसंगति के साथ भी संघ चल ही रहा है।

3 आजकल लव जिहाद पर हल्ला मचा हुआ है, और वह हल्ला भी प्रमुख रूप से संघ परिवार ही कर रहा है। अगर आपके अनुसार हर भारतीय हिन्दू है तो लव जिहाद का प्रश्न आपके मन में उठना ही क्यों चाहिए? पर संघ परिवार को इसमे भी कोई विसंगति नहीं दिख रही होगी।

डा हेडगेवार ने कहा था कि प्रत्येक संघ के कार्यकर्ता का आदर्श शिवाजी महाराज है।. पर क्या आज भी हैं? व्यवहार में तो स्वामी विवेकानंद जी अधिकांश संघ कार्यकर्ताओं के आदर्श दिखाई देते हैं। इसका प्रमाण है कि अधिकांश संघ कार्यकर्ताओं के घर पर स्वामी विवेकानंद जी का चित्र मिल जायेगा, पर शिवाजी महाराज का चित्र किसी बिरले के ही घर पर मिलेगा। मैंने तो दिल्ली संघ कार्यालय में देखा कि अन्य सारे महापुरुषों के चित्र बेचे जा रहें हैं पर शिवाजी महाराज का एक भी चित्र नहीं था पर शायद इसमें भी संघ को कोई विसंगति नहीं नजर आती।

उपरोक्त उदाहरण संघ में व्याप्त वैचारिक विभ्रम दर्शाने के लिए पर्याप्त है। संघ परिवार का ऐसा वैचारिक विभ्रम न केवल उस संगठन की प्रगति में बाधक है बल्कि वह देश के लिए भी घातक है। इन वैचारिक विभ्रमों का दूर होना सनातन धर्म (हिन्दू धर्म) और भारत राष्ट्र दोनों के हित के लिए परमावश्यक है। अस्तु मूल विषय की और मीमांसा जरुरी है। सिन्धु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाली दो सभ्यताओ ने भारत को दो नाम दिये। ये दोनों नाम सिन्धु नदी पर आधारित हैं और अति प्राचीन हैं। अरब जगत ने भारत को हिन्द कहा और यूरोप ने इंडिया कहा। दिल्ली के बिडला मंदिर में एक अरबी कविता खुदी है। जिसके बारे में लिखा है कि वह हजरत मोहम्मद पैगम्बर से सैकडों वर्ष पुरानी है। इसमें ईश्वर ने मानव के लिए ज्ञान भंडार के रूप में वेदों को अवतरित करने के लिए हिन्द को चुना इसलिए उस हिन्द का पुण्य स्मरण है। इसी प्रकार सिकंदर के साथ आये मेगास्थनिस ने अपना यात्रा विवरण लिखा था। वह भी 2300 वर्ष पुराना है और उसका नाम इंडिका है। अर्थात ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की स्थापना के पूर्व से ही ये पश्चिमी सभ्यताएं भारत को हिन्द और इंडिया कहती रहीं हैं, पर विडम्बना देखिये, संघ परिवार इंडिया शब्द का जी तोड विरोध करता है और हिन्दू शब्द का जी तोड समर्थन। यदि इतिहास में गोता लगायें तो पाते हैं कि हिन्दू शब्द भारत में था ही नहीं। संस्कृत सहित किसी भी भारतीय भाषा में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व हिन्दू शब्द नहीं है। जैसे कि प्रख्यात कवि और लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय में लिखा है कि प्राचीन संस्कृत और पाली–ग्रन्थों में हिन्दू नाम कहीं भी नहीं मिलता। किन्तु भारत से बाहर के लोग भारत अथवा भारत वासियों को हिन्दू या इंडो कहा करते थे, इसके प्रमाण हैं। अरबी– तुर्की –पारसी मुस्लिमों ने अपने से भिन्न भारतीयों को हिन्दू कहना प्रारंभ किया और उस पतन काल में हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म का नाम हिन्दू स्वीकार लिया और अपने देश का नाम हिंदुस्तान स्वीकार लिया जैसे बाद में अंग्रेजों की गुलामी के समय उन्हीं की तरह हमने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और स्वयं को इंडियन। अंग्रेजों से स्वतंत्रता के पश्चात् जैसे हमने इंडिया और इंडियन शब्दों को त्यागना प्रारंभ कर दिया। वैसे ही मध्य काल में समय न मिलने के कारण आजादी के बाद ही सही हिन्दू और हिंदुस्तान शब्द का भी परित्याग प्रारंभ करना आत्म गौरव की बात होती।

**समीक्षा**– मै आपके लेखन से सहमत हूँ । जिस तरह अम्बेडकर को न आदिवासी हरिजन कल्याण से कोई मतलब था न हिन्दू धर्म से कोई घृणा। उनका उद्देश्य था इन सबको गैर हिन्दुओ के साथ खडा करके राजनैतिक बहुमत खडा करना। अम्बेडकर ने स्वतंत्रता संघर्ष के समय भी अपनी राजनैतिक तिकडम जारी रखी। ठीक इसी तरह संघ परिवार को भी न हिन्दू से मतलब है न ही हिन्दू धर्म से। उसका भी उद्देश्य हिन्दू के नाम पर राजनैतिक बहुमत बनाना मात्र है। संघ ने स्वतंत्रता संघर्ष के समय राजनैतिक तिकडम ही जारी रखी । संघ के हिन्दू राष्ट्र संबंधी तर्क मे अनेक विगतियां भरी हैं। यदि भारत हिन्दू राष्ट्र होगा तो समान नागरिक संहिता का क्या होगा। संघ प्रमुख तक आचार संहिता और नागरिक संहिता का फर्क नही समझते। संघ प्रमुख तक व्यक्ति और नागरिक का फर्क नही समझते। वे इस तर्क वितर्क से दूरी भी बनाकर रखते है क्योकि उनका उद्देश्य फल खाना मात्र है, पेड गिनना नही।

हिन्दू शब्द त्यागना अनावश्यक कसरत है। यदि हम मान भी ले कि यह शब्द विदेशी है, अपमान जनक है, फिर भी शब्द विवाद से शक्ति का अपव्यय होगा। आर्य समाज ने इसमे बहुत श्रम किया किन्तु परिणाम नही निकल सका। अतः हिन्दू शब्द पर विवाद न कर के उसके दुरूपयोग तक सीमित रहना ठीक रहेगा।

## 3 श्री जगदीश गांधी, सिटी मोंटेसरी स्कूल, लखनउ, उत्तर प्रदेश 9930

**विचार**–ज्ञान तत्व पाक्षिक का 15 से 30 सितंम्बर 2014 का प्रेरणादायी अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में आपने मेरा प्रश्न तथा उसका उत्तर प्रकाशित करने की कृपा की है। सम्पूर्ण समाज के सामाजिक तथा शैक्षिक विकास एंव जागरुकता के लिये आपका योगदान सराहनीय ही नही वरन् अनुकरणीय है।

एक आइडिया सारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से व्यथित होकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फ्रैन्कलिन रुजवेल्ट ने 1945 में विश्व के नेताओं की एक बैठक बुलाई जिसकी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को विश्व की शांति की सबसे बड़ी संस्था सयुक्त राष्ट्र संघ (यू0 एन0 ओ0)की स्थापना हुई। प्रारम्भ में केवल 51 देशों ने ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। आज 193 देश इसके पूर्ण सदस्य हैं और दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ (यु0एन0ओ0)के अवलोकन देश (ऑबजर्बर)हैं। फ्रैंकलिन रुजवेल्ट की इस पहल के कारण पिछले 7 दशको में संसार में कोई और विश्व युद्ध नही हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, मानवाधिकारों की रक्षा व सभी देशों का समान रुप से आर्थिक विकास करना है। इसके साथ विभिन्न देशों के मध्य युद्ध को रोकना, एकता व शान्ति को बढावा देना, पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना भी इसके मुख्य उद्देश्य है। आज पूरे विश्व मे ंगरीबी, भुखमरी, बीमारी एवं निरक्षरता से जूझते देशों की मदद करनें का महत्वपुर्ण दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देशों के सहयोग से निभा रहा है। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो पर पैदा हुई नाजुक स्थितियों को संभालने में संयुक्त राष्ट्र महत्वपुर्ण भूमिका निभा रहा है।

उपरोक्त विचारों पर आधारित अपना विचार अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (24 अक्टूबर) पर प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया जनहित में इस लेख को अपने सम्मानित प्रकाशन के अगले अंक में प्रकाशित करने की कृर्पा करें।

**उत्तर**—आपके मन में किसी विश्वव्यापी व्यवस्था की जो पीड़ा हैं वह पीड़ा मुझे भी परेशान करती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता जग जाहिर है। किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ को जितना व्यापक होना चाहिये उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। यदि दुनिया के कुछ देश भले ही वे दो चार ही क्यों न हो, मिलकर एक संयुक्त सेना बना लें तो उन देशों को अपनी अलग सेना रखने से मुक्ति मिल जायेगी। अपनी सुरक्षा स्वयं करने की मजबूरी के कारण ही दुनिया के अनेक देश मानव विकास के साधनों में कटौंती करके सेना पर खर्च करते रहते हैं। आज ब्रिटेन या अमेरिका की अपनी —अपनी सेनाएँ हैं। ब्रिटेन या अमेरिका सिर्फ देश न होकर छोटे—छोटे देशों के समूह है। यदि ये समूह एक नहीं होते तो इनके अलग—अलग उप देश अलग—अलग सेना रखते। यदि यह दोनों भी मिलकर एक व्यवस्था में जुड़ जाते तो दोनों के बजट कम हो जाते । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि ऐसी संयुक्त सेना का प्रयास कर सकते है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक अधिकार सम्पन्न बनाने की विश्वव्यापी पहल होनी चाहिये।

## 4 डा कुलदीप अग्निहोत्री रा. स्वयं संघ से जुडे, विस्फोट डाट काम

देश में सरदार पटेल की जब भी कोई बात करता है तो तुरन्त कुछ लोगों को लगने लगता है कि शायद यह पंडित जवाहर लाल नेहरु को नीचा दिखाने के लिये किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा हल्ला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर मचने लगता है। भाव कुछ इस प्रकार का होता है मानों सरदार पटेल की बात करने के पीछे संघ की योजना है और यह योजना भी नेहरु को नीचा दिखाने के लिये है। सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर भी इस प्रकार की बहस चल रही है। उसके तुरन्त बाद नेहरु के तथाकथित भक्तों की ओर से चिल्ल पों शुरु हो जाती है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ थे और उन्हीं के मंत्रालय ने तो संघ पर प्रतिबन्ध लगाया था।

एक बात समझ से परे है । नेहरु के वैचारिक प्रतिष्ठान के प्रति समर्पित लोग, उन के वैचारिक आधार को इतना पिलपिला क्यों मानते हैं कि आज पटेल की मृत्यु के पाँच दशक बाद भी, उसकी छाया से ही वह आधार हिलने लगता है? क्या नेहरु की कुल उपलब्धियों की नींव व उस पर बना भवन इतना कच्चा है कि पटेल की छाया मात्र से उसके तिरोहित होने का खतरा पैदा हो जाता है? एक बात और यदि यह खेमा सचमुच यह मानता है कि सरदार पटेल संघ के सख्त विरोधी थे तो उनके इस तर्क की कीमत कितनी रह जाती है कि पटेल को उभारने का काम संघ कर रहा है? संघ अपने विरोधी को क्यों उभारेगा? पटेल और नेहरु में मतभेद बहुत ज्यादा थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का निर्णय कांग्रेस ने सरदार पटेल के पक्ष में ही किया था लेकिन महात्मा गांधी ने नेहरु के पक्ष में अपनी राय दी। यह भी निर्विवाद है कि नेहरु का महात्मा गांधी के चिन्तन में रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। नेहरु ने इसको कभी छिपाया भी नहीं था। गांधी के हिन्द स्वराज को नेहरु ने एक पत्र लिख कर स्पष्ट रुप से अप्रासंगिक बता दिया था। यह पत्र भी नेहरु ने गान्धी को ही लिखा था । नेहरु, पटेल और गान्धी की संगति में इतना सहज नहीं रह पाते थे जितना लार्ड माऊंटबेटन और लेडी मांऊंटबेटन की संगति में। उसका कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो थी ही, ब्रिटेन की छाया में विकसित हुआ उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। यह दृष्टि ही पटेल से उनके मतभेदों का कारण थी। यह मतभेद ब्रिटिश आभिजात्य दृष्टि और भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि का था। दरअसल जिस दिन गान्धी की हत्या हुई उस दिन भी पटेल अपना त्यागपत्र देने के लिये ही गान्धी के पास गये थे।

वास्तव में नेहरु और पटेल की भारत को लेकर दृष्टि अलग थी। नेहरु भारत को उसी दृष्टि से देखते थे, जिस दृष्टि से अंग्रेज भारत को देखते थे। नेहरु कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे। वे ब्रिटिश कुलीन वर्ग के साथ सहज रह पाते थे । अंग्रेज भी सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे और नेहरु भी उसी प्रकार भारत को खोजने की कोशिश कर रहे थे। डिस्कवरी आफ इंडिया उनकी इसी खोज का परिणाम थी। इसके विपरीत गान्धी और पटेल जमीन से जुड़े आदमी थे। उनको भारत की खोज करने की जरुरत नहीं थी। भारत उनकी आत्मा में बसा था। अंग्रेजों के दो सौ साल के शासन के कारण सांस्कृतिक स्तर पर दो भारत उभर आये थे। एक भारत वह था जो यहाँ का आम आदमी समझ पाता था। दूसरा भारत वह था जिसे अंग्रेजों ने बनाया और समझा था। इसके प्रतिनिधि नेहरु और माऊंटबेटन थे। इसमें कोई शक ही नहीं कि अंग्रेजों की इच्छा रही होगी कि उनके जाने के बाद भी भारत की बागडोर उसी के हाथों रहे जो भारत को लेकर गढ़ी गई ब्रिटिश अवधारणाओं का मुरीद हो। दूसरे भारत के प्रतिनिधि गान्धी और पटेल थे। यह गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई की नेहरु को प्रधानमंत्री बनाने के लिये गान्धी क्यों आमादा थे? शायद वे नेहरु दृष्टि और पटेल दृष्टि के समन्वय का नया प्रयोग कर रहे हों, हो सकता है गान्धी को यह भी डर हो कि पटेल तो उनकी बात मान जायेंगे लेकिन यदि नेहरु को प्रधानमंत्री न बनाया तो वे कहीं अपनी अलग पार्टी न बना लें , जैसे उनके पिता ने एक बार गान्धी से मतभेदों के चलते कांग्रेस छोड़ कर स्वराज पार्टी बना ली थी।

कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सरदार पटेल जल्दी ही समझ गये थे कि नेहरु जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह जल्दी ही भारत को संकट में ही नहीं डालेगा बल्कि भारत की पहचान के लिये भी खतरा पैदा कर देगा। इसीलिये पटेल की पहल पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित

किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिये ताकि देश की सभी राष्ट्रवादी ताकतें मिल कर एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। यदि पटेल संघ विरोधी होते तो यह प्रस्ताव पारित न होता।
अंग्रेजों को शायद यह भी अहसास होने लगा था कि नेहरु का महात्मा गान्धी से भी देश के आर्थिक विकास को लेकर निकट भविष्य में गहरा विवाद हो सकता है। हिन्द स्वराज को लेकर गान्धी और नेहरु के मतभेद प्रकट होने ही लगे थे। पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपया देना चाहिये, इसको लेकर महात्मा गान्धी ने जो मरण व्रत रखा था, उसके लिये गान्धी को उकसाने में लार्ड माऊंटबेटन का भी हाथ था। सारा ताना बाना इतनी खूबसूरती से बुना गया कि पटेल आदि को भनक न लग सके। माऊंटबेटन अपनी सामान्य बुद्धि से इतना तो जानते ही होंगे कि विभाजन के बाद दिल्ली के उत्तेजित वातावरण में गान्धी को इस प्रकार के काम के लिये उत्साहित करना घातक सिद्ध हो सकता है? क्या माऊंटबेटन भारत से जाने के पहले नेहरु का रास्ता निरापद करके जाना चाहते थे?
एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये कि महात्मा गान्धी की हत्या का बहाना बना कर नेहरु ने केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही निपटाने की कोशिश नहीं की बल्कि हत्या की आड़ में सरदार पटेल को भी किनारे करने की कोशिश की गई। उन दिनों के अखबारों को यदि देखा जाये तो यह फुसफुसाहट भी चालू कर दी गई थी कि हत्या के लिये पटेल भी किसी न किसी रुप में जिम्मेदार हैं। पटेल इन आरोपों से काफी व्यथित भी थे । एक तीर से दो शिकार करने की यह पुरानी पद्धति थी। नेहरु के वैचारिक प्रतिष्ठान के स्वयंभू पहरेदार बार बार चिल्लाते हैं कि पटेल ने ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया था। वे यह नहीं बताते कि यदि पटेल उस समय संघ पर प्रतिबन्ध लगाने का विरोध करते तो शायद नेहरु के समर्थक गान्धी हत्या के लिये सीधे सीधे पटेल को ही उत्तरदायी ठहराने लगते। जाँच के बाद जब पाया गया कि संघ का गान्धी हत्या से कोई सम्बंध नहीं है तो पटेल ने प्रतिबन्ध उठा भी लिया।
क्या यह संयोग ही नहीं है कि एक साल पहले गुजरात सरकार ने पटेल की प्रतिमा लगाने की घोषणा की, नेहरु समर्थकों में बेचौनी बढ़ने लगी। बहस शुरु हुई और मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि देश में सत्ता परिवर्तन ही हो गया। इस सत्ता परिवर्तन पर सबसे सटीक टिप्पणी भी ब्रिटेन के अग्रणी समाचार पत्र दी गार्जियन ने ही की कि अब जाकर सचमुच अंग्रेज भारत से विदा हुये हैं। इतना तो सब मानते ही हैं कि अब तक मोटे तौर पर देश की सत्ता वैचारिक दृष्टि से नेहरुवादियों के हाथ में ही रही है। चाहिये तो यह था कि इस टिप्पणी पर खुली बहस होती और चैनलों में यह सुर्खी बनती। लेकिन उससे सब बच रहे हैं। सरदार पटेल की छाया से भी डरे सहमे लोग घूम फिर कर इसी को लेकर मिमियाना शुरु कर देते हैं कि पटेल भी संघ विरोधी थे। यदि पटेल संघ विरोधी ही होते तो वे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पास बातचीत करने के लिये संघ के तत्कालीन सरसंघचालक गोलवलकर को न भेजकर किसी कांग्रेसी को भेजते।

**उत्तर**– आपके लेख के उत्तर मे कई लोगो की समीक्षा करनी होगी –1 गांधी 2 नेहरू 3 सरदार पटेल 4 संघ 5 गांधी हत्या । आपने जो लिखा उसमे कितना सच है, कितना घटनाओ को तोड मरोड कर, यह मुझे पता नही । मुझे इतना पता है कि सरदार पटेल गांधी की हर बात समझते भी थे और मानते भी थे जबकि नेहरू गांधी से सहमत थे और उनके विचारों के विरूद्ध । पटेल और गांधी कट्टर हिन्दू थे। उनके मन मे सत्ता का लालच नही था। यही कारण था कि कटटर हिन्दू होते हुए भी वे संघ की विचारधारा से सहमत नही थे। पटेल और गांधी समझते थे कि संघ सत्ता लोलुप है तथा हिंसा की प्रवृत्ति का पक्षधर है। पटेल और गांधी संघ की कार्य प्रणाली के विपरीत समाज मे हिंसा के पक्ष मे वातावरण बनाने के विरूद्ध थे। पटेल शुरू से ही जानते थे कि गांधी हत्या मे संघ का न प्रत्यक्ष संबंध है न परोक्ष। दूसरी ओर पटेल यह भी जानते थे कि गांधी हत्या संघ द्वारा समाज मे बढाये गये हिंसक वातावरण का परिणाम थी। यह बात पूरी तरह सच है कि संघ का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी गांधी को भारत विभाजन का जिम्मेवार मानता था तथा गांधी हत्या से बिल्कुल दुखी तो नहीं ही था। आज सत्तर वर्ष बाद भी संघ एक ओर तो प्रातः स्मरण मे गांधी का नाम लेता है दूसरी ओर पीठ पीछे किन्तु परन्तु लगातार गांधी हत्या का औचित्य सिद्ध करता है।
यही कारण है कि पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और राजनीति से दूरी बनाये रखने का वचन लेकर प्रतिबंध हटा लिया।

पटेल मे नेहरू की अपेक्षा अनेक गुण अधिक होते हुए भी गांधी ने एक कारण से नेहरू को चुना कि नेहरू बालिग मताधिकार के पक्षधर थे और पटेल सीमित मताधिकार के। गांधी की सोच थी कि प्रधान मंत्री लचीले स्वभाव का और गृह मंत्री दृढ होना उचित है। यदि गांधी नही मरते तो नेहरू उच्श्रृखल नही हो पाते। गांधी और पटेल मिलकर नेहरू को नियत्रित कर लेते। लेकिन गांधी के समक्ष मजबूरी थी कि उस समय कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नही था जो नेहरू के समान लोकतांत्रिक तथा पटेल के समान भारतीय हो। मजबूरी मे गांधी ने नेहरू और पटेल का समीकरण बनाया। गांधी हत्या के बाद यह समीकरण टूट गया। क्योकि दोनो के बीच समीकरण बनाने वाला ही चला गया।
यह सच है कि अब तक भारत मे पंडित नेहरू की नीतियों के अनुसार शासन चलाकर नेताओ ने देश और समाज की दुर्गति कर दी । नेहरू और उनकी नीतियां सबके लिये दोषी है। अब नरेन्द्र मोदी कुछ अलग नीतियों पर चलकर पंडित नेहरू की गल्तियों को भी सुधार रहे है तथा सरदार पटेल की नीतियों को भी आगे बढा रहे है। नरेन्द्र मोदी मे सरदार पटेल के गुण दिखते है। अभी तो प्रारंभ है। अभी कुछ और समय बीतने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

## 5 श्री शिवदत्त बाघा, बांदा, युपी 7880

**सुझाव**– मै गांधी जी की सोच से सहमत हूँ कि भारत ग्राम गण राज्यों का संघ बने। किन्तु सामंत शाही के समर्थको ने छदम पंचायती राज्य देकर गांधी के विचार को भी धोखा दिया तथा भारत की जनता को भी। मेरे मन मे आदर्श लोकतंत्र की कल्पना इस प्रकार है।

**ग्राम शासन व्यवस्था का स्वरूप–**

1 गांव की एक विधान सभा होगी जो गांव मे निवास करने वाले परिवारो का स्थाई संघ होगा।
2 गांव मे स्थाई निवास करने वाले प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति इस सभा का सदस्य होगा।

3 सभा की वर्ष मे चार बैठकें अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी। जो तीन तीन महीने के अन्तराल पर आयोजित होंगी। जिन बैठकों मे ग्रामीण बजट व ग्रामीण प्रशासन से संबंधित सारे विधायी कार्यो पर चर्चा होगी।

4 बैठको के दौरान ग्राम विधान सभा अपना सभा अध्यक्ष स्पीकर सर्व सम्मति या बहुमत से नियुक्त करेगी जिसका कार्य काल अगली बैठक तक रहेगा यानी तीन माह।

5 ग्राम विधान सभा गांव के प्रशासनिक एवं विकास निर्माण योजना शिक्षा स्वास्थ सुरक्षा आदि कार्यो की व्यवस्था के लिये पांच सदस्यीय समितियों का गठन एक वर्ष के लिये करेगी।

6 गांवो की सीमा के अन्तराल निहित जल स्श्रोत जैसे नदी आदि पहाड जंगल व आय के साधन ग्राम शासन के स्वामित्व मे होगे। उनसे होने वाली आमदनी गांवो के आय स्श्रोत होगे जिस पर गांव का पूरा हक होगा।

## ग्राम गणराज्य की प्रशासनिक एंव प्रबंधकीय व्यवस्था–

1 गांवो के अपने प्राइमरी न्यायालय होगे। जो गांव की सीमा के अन्तरगत घटित अपराधो की प्रारम्भिक सुनवाई से लेकर जघन्य अपराधों को छोडकर शेष मे दंड देने की व्यवस्था करेगी।

2 राजस्व जमीन जायदाद आदि विवादो के निपटारे के लिये दीवानी न्यायालय भी होगें।

3 गांवो व निवासियों की सुरक्षा हेतु गांवो की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी ग्राम सुरक्षा प्रहरी के नाम से।

4 गांव की हुकूमते अपने बालक–बालिकाओ की शिक्षा कम से कम उच्चतर माध्यमिक काम काजी व नैतिक शिक्षा के साथ भारतीयता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से करेंगी।

5 अपने लोगो के स्वास्थ की देखभाल व बीमारी के इलाज एंव प्रसव आदि के लिये चिकित्सालय की व्यवस्था होगी।

6 प्रत्येक गांव मे फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस की व्यवस्था होंगी।

7 कृषि को व्यावसायिक रूप देकर तथा कृषि सेवा केन्द्रो द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जायगा तथा किसानों की खाद बीज कीटनाशको की उपलब्धता सुनिश्चित करके तथा जुताई बुवाई कटाई जैसी सुविधाए मुहईया करा कर किसानों को दिक्कतो से मुक्त कराया जायेगा।

8 किसानों को बाजार के हाथों लुटने से बचाने के लिये उनके उत्पादों को कृषि सेवा केन्द्र के जरियें स्थानीय स्तर पर खरीद कर सीधे उपभोक्ता बाजारों के माध्यम से उपभोक्तओं के हाथों बेचने की व्यवस्था की जायेगीं इस व्यवस्था से उत्पादक व उपभोक्ता दोनो ही बाजार के लुटेरों के हाथों लुटने से बचेगे और उनको आपस मे सीधा रिस्ता जुडेगा।

9 पडोसी ग्राम गण राज्यों का क्षेत्रीय मंडलीय ग्राम गण राज्य संघ होगा जिसकी समय समय पर बैठके आहुत कर आपसी समस्या पर सहयोगी चर्चा चिंतन मनन के जरिये समाधान निकाले जायेगे।

वस्तुतः इस व्यवस्था का आधार ही वसुधैव कुटुम्बकम होगा। एक सब के लिये और सब एक के लिये यही इस व्यवस्था की नीति रीति एंव उददेश्य है।

## ग्राम गण राज्य से इतर व्यवस्थाऐ

1 अफसरशाही कलक्टरशाही से मुक्त जिला व्यवस्थापक सभा होगी जिसके सदस्यों का चुनाव ग्राम गणराज्य की विधान सभाओं मे लाये गये प्रस्ताव की मार्फत सर्वसम्मति अथवा बहुमत से सम्पन्न होगा।

2 जिले की जन संख्या के हिसाब से जिला व्यवस्थापक सभा की सदस्य संख्या निर्धारित होगी।

3 जन सेवा जन समस्याओ को लेकर जन संघर्षो मे योगदान, उपलब्धि का रिकार्ड व सामाजिक सरोकार बेदाग छवि चारित्रिक नैतिक पूंजी जिला व्यवस्थापक सभा मे चुने जाने के लिये किसी की अर्हताए होगी। जिनका सम्पूर्ण विवरण लेकर संबधित ग्राम गणराज्य विधान के समक्ष स्वयं पेश होकर चुने जाने की गुंजारिश की जायेगी।

4 संबंधित ग्राम गण राज्य विधान सभाएं इच्छुको से संपूर्ण विवरण प्राप्त कर सेवा श्रेष्ठता के आधार पर योग्यता के पक्ष मे अपनी नियमित या आकस्मिक बैठक मे सर्व सम्मति से या बहुमत से निर्णय लेकर निर्वाचन सुनिश्चित करेगी।

5 जिला व्यवस्थापक सभा के गठन के बाद सभा ग्राम गण राज्यो की तर्ज पर ही अपने दायित्वों कार्यो के निर्वहन के लिये एक साला कार्यदायी समितियों का गठन करेगी। सभा का संचालन व स्पीकर का चुनाव कार्यवधि ग्रामीण गण राज्यो की भाति ही होगा।

6 जिले की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था व शिक्षा स्वास्थ सुरक्षा न्याय यातायात आदि संभालना जिला व्यवस्थापक सभा के अनिवार्य कर्तब्य कर्म है।

7 आर्थिक प्रबंधन मे जिला व्यवस्थापक सभा शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय आदि के मद मे आने वाले खर्च के लिये आय के साधन खुद जुटाने होगें।

## राज्य विधान सभा व लोक सभा

1 राजनीति को दलीय बंधन से मुक्त रखा जायेगा।

2 इन सभाओं मे पहुंचने वाले सदस्यों की अर्हताये वही होगी जो जिला व्यवस्थापक सभा की सदस्यता के लिये निर्धारित की गई है।

3 इनके सदस्यों का चुनाव भी उसी तर्ज पर यानि ग्राम गण राज्य नगर गण राज्य , शहर गण राज्य की विधान सभावों व जिला व्यवस्थापक सभा मे प्रस्ताव लेकर सर्व सम्मति या बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसकी सदस्यता की अवधि दो वर्षो की होगी।

4 राज्य सरकारे अपना आर्थिक प्रबंधन उसी तरह से चलाती रहेगी जैसे अभी चला रही हैं जब तक केन्द्र की व्यवस्था कोई नई आर्थिक व सम्पत्ति संबंधि व्यवस्था लागू नही होगी।

5 सभी स्तरो की इन लोकतांत्रिक संसथानों के सदस्यगण अवैतनिक होंगे। और ये संस्थाएं स्थाई अध्यक्षीय नियंत्रण से मुक्त सामूहिक निर्णय व दायित्व के सिद्धान्त से संचालित होगी।

6 इस प्रकार की सभी संस्थाए प्रशासनिक कार्य निष्पादन व अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिये अपने द्वारा गठित विभिन्न समितियों पर निर्भर करेगी न कि इनका कोई मंत्री मंडल होगा।

### केन्द्र व्यवस्थापक

1 केन्द्र गण राज्यों का संघ होगा उसकी एक सभा प्रतिनिधि सभा होगी

2 आय के स्श्रोत, उत्पादन व उपभोक्ता मे सब को समान अवसर, समान अधिकार के लिये केन्द्र व्यवस्था कानून बनाये।

3 जाति मुक्त समाज रचना का एजेंडा प्राथमिकता के आधार पर तय करे।

4 राज्य अपने शहरों के नाम करण को लेकर चिंतित दिख रहे है और उनमे अपेक्षित परिवर्तन भी कर रहे है। केन्द्र को देश के नाम परिवर्तन को लेकर चिंतित दिखना चाहिये और जल्द से जल्द इंडिया से मुक्ति लेने का प्रयास करना चाहिये।

5 स्वभाषा संस्कृति जीवन पद्वति शिक्षा पद्वति पर आधारित नीति निर्माण पर जोर देना चाहिये।

6 भारत की यह शासन व्यवस्था नीचे से लेकर उपर तक किसी भी तरह की सरवराही यथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से मुक्त सामूहिक जिम्मेवादी पर आधारित व्यवस्था होगी जिसे अपनी जरूरतो के मुताबिक जन सेवा समाज सेवा राष्ट सेवा के मद्दे नजर विधि निर्माण व संचालन का अधिकार होगा।

7 केन्द्रीय व्यवस्था संविधान सभा गठन के लिये अधिसूचना जारी करेगी और संविधान सभा भारत गण राज्य के लिये एक संविधान की रचना करेगी न कि इंडिया के लिये। संविधान रचना का आधार प्रस्तुत प्रपत्र मे वर्णित बिंदुओ को माना जायेगा।

उपरोक्त पर अपनी समीक्षा देने की कृपा करे। भविष्य मे तीन बिन्दुओ पर चिंतको विद्वानों के बीच चर्चा का इच्छुक हूँ वह भी बांदा की धरती मे। दिशा निर्देश आपका व्यवस्था का दायित्व मुझ पर।

### विषय बिन्दु

देश दुनियां की व्यवस्थाएं मानव जाति के लिये समाधान के बजाय समस्या बन गई है।

2 भारत मे लोकतंत्र की जमीनी हकीकत

3 समाज, अपराध, सरकार

**उत्तर**— अब तक आपके पत्र सिर्फ प्रश्नवाचक होते थे। पहली बार आपने उत्तर लिखा। आगे जो कुछ भी लिखा वह आधार भूत विचार है। इस संबंध मे मै आपको भावी भारत का संविधान नामक पुस्तक भेज रहा हूँ । आशा है कि आप टिप्पणी करेंगे।

आपने बांदा मे एक विचार गोष्ठी रखने की इच्छा व्यक्त की है। यदि आप ऐसा कोई आयोजन रखते है ते मै अपने पांच सात स्वतंत्र विचारकों के साथ आने की सहमति देता हूँ। ये सभी साथी आने जाने का मार्ग व्यय स्वयं वहन करेगे। यदि और बडी योजना बनानी हो तो आप पचीस छब्बीस दिसम्बर को रामानुजगंज आइये । बडी संख्या मे साथियों के साथ बैठकर योजना बन सकती हे। यदि यह तिथि अनुकूल न हो तो आप कभी भी फोन करके अम्बिकापुर या दिल्ली आइये तो योजना बन सकेगी।

## नान्हू राम लबाना इंदौर मप्र 40343

ज्ञानतत्व के 300 वें संस्करण में आपने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल का विश्लेषण किया है। इसमें आपने लम्बें समय से संगठित पार्टी भाजपा के योगदान को नकार दिया है जो उचित नहीं है, क्योंकि पार्टी ने ही उनको उम्मीदवार बनाया था और अब वे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। आपका यह मानना कि संघ को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है,यह उचित नहीं है, क्योंकि संघ तो प्रारंभ से ही लोकतंत्र का समर्थन करता आया है। आपकी मोदी जी द्वारा सबको निपटाने के साथ प्रजातंत्र को भी निपटाने का शौक भी निर्मूल है, क्योंकि अब तक तो मोदी जी ने भी श्री अटलबिहारी वाजपेयी की ही तरह उदारता का परिचय दिया है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाकर शांतिपूर्ण मित्रता का संदेश दिया था। उन्होंने अमेरिका सहित पड़ोसी देशों के साथ शान्तिपूर्ण संम्बंध स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया हैं। वे सबकी खुशहाली और शान्ति चाहते हैं इसलिये तो वे लम्बें समय से पाकिस्तान के संघर्ष विराम के उलंघन को बर्दास्त कर रहें हैं। यहॉ तक कि हमारे नागरिको और सैनिकों को मारे जाने और गॉव के गॉव खाली करा देने पर भी पाकिस्तान को ईंट का जबाब पत्थर से नहीं दे रहें हैं। इसलिये न उनको तानाशाह माना जा सकता है और न यह आशंका ही करना चाहिये कि वे लोकतंत्र को निपटा देंगे। हमारे संसदीय प्रजातंत्र में जब एक ही पार्टी को बहुमत होता है तो उसका प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उसको सदन में बहुमत प्राप्त रहता है। फिर भी मोदी जी ने भ्रष्ट नेताओं पर कार्यवाही करने के अपने वादे को नहीं निभाया है, विदेशी बैंको में जमा काले धन को लाने का कानून भी नहीं बनाया हैं।मोदी सरकार ने चीन की खुराफातों के बावजूद उसको भारत में व्यापार की खूली छूट दे रखी है। पाकिस्तान की निरंतर सीजफायर के उलंघन को भी सहन किया जा रहा है तो मोदी जी को तानाशाह कैसे माना जा सकता है? आपको उनके द्वारा लोकतंत्र को निपटा देने की शंका कैसे हो गई?

**समीक्षाः**— समस्याओं के समाधान के दो ही मार्ग होते हैंः—

(1)तानाशाही

(2)लोक स्वराज्य ।

तानाशाही में समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है जबकि लोकस्वराज्य में समस्याएँ पैदा ही कम होती हैं। लोकतंत्र में समस्याओं का विस्तार होता जाता है। भारत,पाकिस्तान,बंग्लादेश,श्रीलंका आदि देशों का लोकतंत्र वैसा नहीं जैसा पश्चिम के देशों का हैं। वहॉ का लोकतंत्र लोकस्वराज्य की ओर झुका होने से समस्याएँ कम पैदा होती हैं। कम्युनिस्ट और इस्लामिक देशों में तानाशाही होने से समस्याएँ दबा दी जाती हैं, रुस, चीन, ईराक, नेपाल आदि में तानाशाही के बाद लोकतंत्र आया। इसलिये वहॉ धीरे—धीरे अशान्ति बढ़ रही है। लोकतंत्र यदि लोकस्वराज्य की दिशा में न बढ़े तो उसका अन्तिम परिणाम तानाशाही ही होता है। भारत में अव्यवस्था थी और लगातार बढ़ रही थी। मनमोहन सिंह लोकतंत्र को मजबूत कर रहें थे। परिणाम स्वरुप अव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी। देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी में एक मजबूत प्रधानमंत्री की छवि देखी और उन्हें बिठा दिया। नरेन्द्र मोदी अपने तरीके से समाधान की दिशा में बढ़ रहें हैं किन्तु आज तक मोदी जी के किसी कदम से यह नहीं दिखा कि वे सहभागी लोकतंत्र अर्थात् लोकस्वराज्य की दिशा में कदम बढ़ायेंगे। न

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लोकस्वराज्य का हिमायती है न ही मोदी।हम कैसे मान लें कि मोदी तानाशाही की दिशा में नहीं जायेंगे। तानानाही का अर्थ यह नहीं हैं कि सेना की ताकत पर ही तानाशाही हो और वोट ही न हो ।

यदि आगामी चुनावो मे जनता मोदी जी को सौ प्रतिशत वोट दे दे और मोदी जी अकेले सभी अच्छे निर्णय लेते रहे तो उसे आप लोकतंत्र कहेगे और मै तानाशाही। क्या हिटलर ने इसी तरह के लोकप्रिय काम करके जन समर्थन नही जुटाया था। मै तो मोदी जी के कदम को तभी लोकतांत्रिक कह सकता हूँ जब परिवार गांव को संवैधानिक अधिकार दिये जाये। तथा संविधान संशोधन के संसद के असीम अधिकारों मे कटौती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी इस दिशा मे पहल नही करेंगे और इसके लिये हम आप सब को मिलजुल कर ही पहल करनी होगी। तानाशाही, लोकतंत्र और लोक स्वराज्य के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा है। तानाशाही मे प्रमुख लोग भी भय के कारण गलत नही करते। लोकतंत्र मे प्रमुख लोग निर्भय होकर गलत करते है। लोक स्वराज्य मे लोग निर्भय होकर सही काम करते है। क्योकि कुछ अपराधो का छोडकर अन्य कोई काम ऐसा नही होता जिसका प्रभाव करने वाले के साथ न जुडा हो। नई सरकार आते ही अनेक लोग मोदी भय के कारण गलत करने से डरने लगे है। यही है तानाशाही । जहां भी तानाशाही होती है। वहां आम तौर पर लोग डर के कारण गलत नही करते। इस आधार पर तानाशाही को तौलने की आवश्यकता है। फिर भी मै मोदी का इसलिये प्रशंसक हूँ कि पिछली सरकारे किसी एक दिशा मे नही चल रही थी। न तो वे तानाशाही से समस्याओ का समाधान करने की ओर जा रही थी न ही लोक स्वराज्य की राह पकड रही थी। मोदी जी ने एक राह पकडी । अब उन्हे दूसरी राह पर चलने हेतु प्रेरित करने का मार्ग खुला है। अब तानाशाही बनाम लोकस्वराज्य का संघर्ष शुरू करने का उपयुक्त अवसर है। अब यह बात साफ कर देने का समय है कि अब हमे वैसा लोकतंत्र नही चाहिये जैसा पिछले साठ पैसठ वर्षो से चल रहा है।

## सोलह दिसम्बर से पचीस दिसम्बर 2014 तक का जन जागरण भ्रमण का विस्तृत कार्यक्रम

| दिनांक | समय | कार्यक्रम संयोजक का नाम | केंद्र संयोजक का नाम व पता | कार्यक्रम स्थल/जिला |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 बजे | | श्री ओम सत्यम त्रिवेदी,समन्वय तीर्थ गौतम नगर प्रखण्ड कार्यालय के पश्चिम चंदोति ,गया, बिहार | 9473315334 |
| 16 | 3 बजे | | श्री राकेश दत्त मिश्रा, टेकारी , गया | टेकारी , गया 8986043076 |
| 17 | 10 बजे | सुरेश चंद्र त्यागी | कामेश्वर ,स्वतंत्रता सेनानी पुस्ताकालय, कुर्था, पो0 कुर्था, अरवल बिहार | अरवल बिहार 8797329830 |
| 17 | 3 बजे | | श्री नवल किशोर शर्मा,डायरेक्टर द्वारा मानस विद्यालय ,ठाकुर बाडी रोड, जहानाबाद बिहार | , जहानाबाद 9431226130 |
| 18 | 10 बजे | | डा0 ईश्वर दयाल ,राजगीर ,नालंदा ,बिहार | राजगीर 9430601751 |
| 18 | 3 बजे | | श्री रण विजय सिंह, संपादक– नालंदा टूडे ,द्वारा सिकंदर प्रसाद कालेज मोड, बिहार शरीफ नालंदा, | 9334612716 |
| 19 | 10 बजे | | डा0 संजय सत्यार्थी, आर्यसदन नेमदारगंज ,नवादा बिहार नालंदा, बिहार | नेमदारगंज 9162664865 |
| 19 | 3 बजे | | श्री शंकरानंद ,लोशघानी,लखीसराय, बिहार | लोशघानी 8102669576 |
| 20 | 10 बजे | | महेंद्र प्रताप साहू एड0, उपभोक्ता न्यायालय के बगल मे व्यवहार न्यायालय ,भागलपुर बिहार | ,भागलपुर बिहार 9334527480 |
| 20 | 3 बजे | गणेश रवि | श्री आदित्य कुमार सिंह पुत्र अमरेंद्र कुमार सिंह,कालीवाडी बेला गॉव,देवघर,झारखण्ड | बेलागॉव,देवघर 8877011692 |
| 21 | 10 बजे | गणेश रवि | रामदेव विश्वबंधु , भण्डारी डीह मवेशी अस्पताल के पास, गिरीडीह ,झारखण्ड | गिरीडीह ,झारखण्ड |
| 21 | 4 बजे | | गौरी शंकर बनर्जी, क्वा0 नं0 ,डी –20, से0–9, कोयला नगर ,धनबाद, झारखण्ड | धनबाद 9973765229 |
| 22 | 10 बजे | | श्री जय किशन जी, | ,धनबाद 9430703788 |
| 22 | 3 बजे | | श्री कृषण लाल रूगटा,चिरकुंडा , धनबाद | चिरकुंडा 9431123154 |
| 23 | 10 बजे | | चैतेंद्र प्रताप सिंह,सिंह नगर,निकट पुसरो रेलवे स्टेशन पुसरो,बोकारो , झारखण्ड | पुसरो,बोकारो 9835067044 |
| 23 | 3 बजे | | डा0 हिरा पासवान,खपरियावा,हजारी बाग , झारखण्ड श्री शंकर राणा,नूतन नगर चर्च के पास, हजारी बाग | हजारी बाग 8809671061 |
| 24 | 9 बजे | नवल बाबु तुल्सयान | श्री किशोरी लाल लाट ,शांतिपुरी पुलिसलाइन के नजदीक डालटेनगंज,पलामु झारखण्ड | 9431138410 |
| 24 | 2 बजे | | संतोष माखडिया, डालटेनगंज | , डालटेनगंज 7781915444 |
| 24 | 6 बजे | गणेश रवि | विजय कुमार,गढवा झारखण्ड | गढवा, झारखण्ड |
| 25 | | | रामानुजगंज | |